

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

द्वारा :

* आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना-15, दिनांक-.....21.../05...../2025.

विषय-

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के अतिरिक्त चरण में प्रशासनिक स्वीकृत) स्वीकृत तथा संचालित मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास की योजना को पूर्ण करने हेतु चतुर्थ किस्त की ₹ 2.335 करोड़ (दो करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार मात्र) केन्द्रांश मदर सैंक्शन राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 1.5567 करोड़ (एक करोड़ पचपन लाख सड़सठ हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹ 3.8917 करोड़ (तीन करोड़ नवासी लाख सतरह हजार मात्र) राशि की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के अतिरिक्त चरण में प्रशासनिक स्वीकृत) स्वीकृत तथा संचालित मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास की योजना को पूर्ण करने हेतु चतुर्थ किस्त की ₹ 2.335 करोड़ (दो करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार मात्र) केन्द्रांश मदर सैंक्शन राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 1.5567 करोड़ (एक करोड़ पचपन लाख सड़सठ हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹ 3.8917 करोड़ (तीन करोड़ नवासी लाख सतरह हजार मात्र) राशि की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक-I एवं II के रूप में संलग्न है।

2. विभागीय राज्यादेश संख्या 6 एस०एस०(6)41/2021-3572, दिनांक-29.12.2021 द्वारा बिहार के लिए "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना"(केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के अतिरिक्त चरण में प्रशासनिक स्वीकृत) के अन्तर्गत मात्स्यिकी विकास तथा मात्स्यिकी आधारभूत संरचना के विकास हेतु केन्द्रांश ₹ 24.4590 करोड़ (चौबीस करोड़ पैतालीस लाख नब्बे हजार) तथा राज्यांश ₹ 16.3060 करोड़ (सोलह करोड़ तीस लाख साठ हजार) अर्थात् कुल ₹ 40.7650 करोड़ (चालीस करोड़ छिहतर लाख पचास हजार) की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा द्वितीय चरण (अतिरिक्त) के अन्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त की गई ₹ 12.2295 करोड़ (बारह करोड़ बाईस लाख पंचानवे हजार) तथा राज्य सरकार के समानुपातिक राज्यांश राशि ₹ 8.153 करोड़ (आठ करोड़ पन्द्रह लाख तीस हजार) अर्थात् कुल ₹ 20.3825 करोड़ (बीस करोड़ अड़तीस लाख पच्चीस हजार) मात्र की

लागत व्यय पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या—F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक—27.09.2023 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त ₹ 6.11475 करोड़ (छः करोड़ ग्यारह लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ मात्र) केन्द्रांश राशि तथा इसके समानुपातिक राज्यांश ₹ 4.0765 करोड़ (चार करोड़ सात लाख पैंसठ हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹ 10.19125 करोड़ (दस करोड़ उन्नीस लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा योजना कार्यान्वित की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक—13.12.2024 तथा F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक—17.01.2025 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु तृतीय किस्त की ₹ 1.50 करोड़ (एक करोड़ पचास लाख मात्र) केन्द्रांश राशि मदर सैंक्शन (Mother Sanction) तथा इसके समानुपातिक ₹ 1.00 करोड़ (एक करोड़ मात्र) राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹ 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास मात्र) व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा तथा योजना का क्रियान्वयन किया गया।

3. इसी क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या—F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक—28.04.2025 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु चतुर्थ किस्त की ₹ 2.335 करोड़ (दो करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार मात्र) केन्द्रांश राशि मदर सैंक्शन (Mother Sanction) के रूप में एस०एन०ए०—स्पर्श प्रणाली में विमुक्त की गई है।
4. उपर्युक्त के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त ₹ 2.335 करोड़ (दो करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार मात्र) केन्द्रांश राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 1.5567 करोड़ (एक करोड़ पचपन लाख सड़सठ हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹ 3.8917 करोड़ (तीन करोड़ नवासी लाख सतरह हजार मात्र) राशि की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान किया जाना है।
5. इस व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी निम्नलिखित बजट शीर्ष के तहत विकलन किया जायेगा :-

- (i). योजनान्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश राशि— मांग संख्या—02, मुख्य शीर्ष—2405 —मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—101 —अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष—0219 —नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02-2405001010219 का विषय शीर्ष—0219.33.01 —सब्सिडी तथा सहायक अनुदान गैर वेतन 0219.31.06 मद में उपबंधित राशि से व्यय किया जाएगा तथा
- (ii). योजनान्तर्गत स्वीकृत राज्यांश राशि— मांग संख्या—02, मुख्य शीर्ष—2405 —मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—101 —अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष—0319 —नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02-2405001010319 के विषय शीर्ष—0319.33.01 —सब्सिडी मद में प्राप्त बजटीय उपबंध शेष आवश्यक राशि

पुनर्विनियोग/अनुपूरक आगणन से प्राप्त कर तथा सहायक अनुदान गैर वेतन 0319.31.06 मद में उपबंधित राशि से व्यय किया जाएगा।

6. इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत अन्य श्रेणी, सभी श्रेणी के महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को देय केन्द्रांश एवं राज्यांश अनुदान (सब्सिडी) राशि का भुगतान क्रमशः विपत्र कोड 02-2405001010219 के विषय शीर्ष-0219.33.01 -सब्सिडी तथा विपत्र कोड 02-2405001010319 के विषय शीर्ष-0319.33.01 -सब्सिडी मद में व्यय हेतु स्वीकृत एवं आवंटित लिमिट राशि से किया जायेगा।
7. योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार ही अनुदान की राशि देय होगा। विभिन्न अवयवों की इकाई लागत तथा देय अनुदान की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित है जिसके अनुसार ही अनुदान का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी अवयव की लागत योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होती है तो अतिरिक्त व्यय राशि का वहन लाभुक द्वारा स्वयं स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से किया जाएगा।
8. इस योजनान्तर्गत के सफल कार्यान्वयन हेतु मत्स्य निदेशालय के पत्रांक म0यो0-17/2020-107, दिनांक 27 जनवरी, 2021, म0यो0-17/2020 (खंड-I)-1337, दिनांक 8 जुलाई, 2022, म0यो0-17/2020 (खंड-I)-527, दिनांक 30 मार्च, 2024 तथा म0यो0-17/2020 (खंड-I)-267, दिनांक 15 जनवरी, 2025 द्वारा निर्गत तथा भविष्य में निर्गत होने वाले क्रियान्वयन अनुदेश की अनुमान्यता होगी।
9. Department of Expenditure, PFMS Division, Ministry of Finance, Govt. Of India द्वारा "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through e-kuber of Reserve Bank of India (RBI) से सम्बन्धित निर्गत कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) F.No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 13 जुलाई, 2023 तथा भविष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार (वित्त विभाग, बिहार, पटना) द्वारा निर्गत करने वाले दिशा-निर्देश से इस योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी/व्यय किये जाने वाले राशि अच्छादित होगी।
10. इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत धनराशि का प्रबंधन और व्यय प्रगतिशील तरीके से समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण (Real Time System of Integrated Quick Transfers) ढांचे के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पी०एफ०एम०एस०-एस०एन०ए० स्पर्श (Public Financial Management System-SNA SPARSH), राज्य आई०एफ०एम० आई०एस० (State Integrated Financial Management Information System) और भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म (e-kuber platform) शामिल होंगे।
11. Department of Expenditure, Govt. Of India के दिशानिर्देश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश की राशि मदर सैंक्शन (Mother Sanction) के रूप में SNA SPARSH Platform of PFMS प्रणाली में विमुक्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत केन्द्रांश राशि तथा इसके अनुपातिक राज्यांश राशि को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा SNA SPARSH प्रणाली से सम्बन्धित निर्गत दिशानिर्देश/अनुदेश के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय किया जायेगा।

12. इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो, विभागीय अधिसूचना संख्या म० योजना-08/2021-313, दिनांक-02 मार्च, 2022 के तहत प्रदत्त शक्ति के आलोक में निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु समुचित निर्णय लिया जाएगा अथवा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval and Monitoring Committee) के अनुमति से निदेशक मत्स्य, बिहार आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत कर सकेंगे।
13. इस योजना के सफल क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्य के ससमय उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा जिलों के मांग तथा उपलब्ध स्वीकृत राशि को दृष्टिपथ में रखते हुए जिलों को किस्तों में व्यय हेतु लिमिट राशि आवंटित किया जायेगा। लेकिन लिमिट राशि का आवंटन एवं व्यय योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही सीमित रहेगा।
14. साथ ही, जिलों को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की उपलब्धि में कतिपय कारणों से कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में अन्य जिलों के द्वारा भौतिक लक्ष्य की मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंतर-जिला लक्ष्य का स्थानान्तरण निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा किया जा सकेगा। इस के लिए अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।
15. प्रस्तावित इस देयता (Liability) योजना का क्रियान्वयन तत्समय निर्गत राज्यादेश में निहित प्रावधान के तहत की जाएगी।
16. योजनान्तर्गत पूर्व में जिलों को संसूचित अवयवार, श्रेणीवार, जिलावार लक्ष्य की अनुमान्यता होगी तथा योजना का क्रियान्वयन 2025-26 तथा आगामी वर्षों में भी किया जाएगा।
17. इस योजना के तहत बजट शीर्षवार, विषयशीर्षवार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कोषागार, व्यय हेतु स्वीकृत राशि आदि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।
18. इस योजनान्तर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र मत्स्य निदेशालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
19. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी तथा पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे। साथ ही, व्यय की गई राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
20. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे।
21. निदेशक, मत्स्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम०-04-15/2009-9736 वि०-2, दिनांक-19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
22. यह स्कीम केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प-12888, दिनांक-03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के

आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका-6 एस०एस०(6)41/2021 के पृष्ठ-69/टि० एवं दिनांक-15.05.2025.

23. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)41/2021 के पृष्ठ-70/टि० तथा डायरी संख्या-247, दिनांक-19.05.2025.
24. वित्त विभागीय पत्र संख्या-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(गोविंद सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 2232/पटना-15, दिनांक-...21.../...05.../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 2232/पटना-15, दिनांक-...21.../...05.../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 2232/पटना-15, दिनांक-...21.../...05.../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/संयुक्त मत्स्य निदेशक (सभी)/उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 2232/पटना-15, दिनांक-...21.../...05.../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 2232/पटना-15, दिनांक-...21.../...05.../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित अवर सचिव, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग, कमरा संख्या-221, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 2232/पटना-15, दिनांक-...21.../...05.../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 2232/पटना-15, दिनांक-...21.../...05.../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 2232/पटना-15, दिनांक-...21.../...05.../2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

(अनुलनक-1)

2025-26

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के द्वितीय अतिरिक्त चरण में प्रशासनिक स्वीकृत) मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु वर्ष 2020-21 के द्वितीय चरण (अतिरिक्त) के चतुर्थ किस्त PFMS linked SNA SPARSH प्रणाली के माध्यम से संघालित धनराशि के लिए वृहद, लघु एवं उपशीर्ष बजट विवरणी कोषागार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची तथा निकासी/व्यय हेतु स्वीकृत राशि की विवरणी।

(राशि लाख में)					
क्र०	वृहद, मुख्य, लघु उपशीर्ष एवं विपन्न कोड	प्र. विषय	व्यय हेतु स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6
(क)	माना संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0219-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पीएम0एम0एस0वार्ड0) विपन्न कोड-02.2405001010319 (अन्य श्रेणी, सभी श्रेणी के महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लाभकों हेतु अनुदान क्रमशः 40, 60, 60 एवं 60 प्रतिशत)	0219-33.01-समिन्डी	233.500	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना / सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)	कोषागार, सभी।
(ख)	माना संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0319-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पीएम0एम0एस0वार्ड0) विपन्न कोड-02.2405001010319 (अन्य श्रेणी, सभी श्रेणी के महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लाभकों हेतु अनुदान क्रमशः 40, 60, 60 एवं 60 प्रतिशत)	0319-33.01-समिन्डी	155.670		
कुल योग (केन्द्रांश)-(क)			233.500		
कुल योग (राज्यांश)-(ख)			155.670		
महायोग (केन्द्रांश + राज्यांश)			389.170		

(लीन करोड नवासी लाख सतरह हजार मात्र)

2235
21/05/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक-II								
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनागत बिहार राज्य के लिए स्वीकृत अवयवों की विवरणी।								
क्र०	विशय शीर्ष	कार्य अवयव का नाम	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	कुल राशि	केन्द्रांश (02-2405001010219)	राज्यांश (02-2405001010319)	(राशि लाख में) लामुक का अंशदान राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33.01- सब्सिडी	मत्स्य बीज हैचरी का अधिष्ठापन (सं०)	6	25.00	150.00	42.00	28.00	80.00
2		नया तालाब का निर्माण (हे०)	100	7.00	700.00	210.00	140.00	350.00
3		रियरिंग तालाब का निर्माण (हे०)	100	7.00	700.00	210.00	140.00	350.00
4		उन्नत इनपुट योजना (हे०)	100	4.00	400.00	120.00	80.00	200.00
5		बॉयोप्लोक तालाब का निर्माण (इकाई)	50	14.00	700.00	210.00	140.00	350.00
6		वृहत आकार के आर०ए०एस० का अधिष्ठापन (90 घन मी० का 8 टैंक/टैंक उत्पादन-40 टन/क्रॉप) (सं०)	10	50.00	500.00	150.00	100.00	250.00
7		मध्यम आकार के आर०ए०एस० का अधिष्ठापन (30 घन मी० का 6 टैंक/टैंक उत्पादन-10 टन/क्रॉप) (सं०)	10	25.00	250.00	75.00	50.00	125.00
8		लघु आकार के आर०ए०एस० का अधिष्ठापन (100 घन मी० का 1 टैंक) (सं०)	15	7.50	112.50	34.20	22.80	55.50
9		मत्स्य पालन हेतु लघु बायोपलॉक का अधिष्ठापन (4 मी० व्यास का 7 टैंक, ऊ० 1.5 मी०) (सं०)	30	7.50	225.00	67.50	45.00	112.50
10		मत्स्य पालन हेतु लघु बायोपलॉक का अधिष्ठापन (4 मी० व्यास का 25 टैंक, ऊ० 1.0 मी०) (सं०)	30	25.00	750.00	225.00	150.00	375.00
11		मत्स्य पालन हेतु लघु बायोपलॉक का अधिष्ठापन (4 मी० व्यास का 50 टैंक, ऊ० 1.0 मी०) (सं०)	30	50.00	1500.00	450.00	300.00	750.00
12		जिन्दा मछली बिक्रय केन्द्र का निर्माण (सं०)	5	20.00	100.00	31.20	20.80	48.00
13		लघु फीड मील (क्षमता 2 टन प्रतिदिन) (सं०)	10	30.00	300.00	90.00	60.00	150.00
14		मध्यम फीड मील (क्षमता 8 टन प्रतिदिन) (सं०)	3	100.00	300.00	84.00	56.00	160.00
15		बृहद फीड मील (क्षमता 20 टन प्रतिदिन) (सं०)	2	200.00	400.00	120.00	80.00	200.00
योग (1-15)					7087.50	2118.90	1412.60	3556.00
16	31.06- सहायक अनुदान- गैर वेतन	एक्वेटिक रेफरल लैब्स (सं०)	1	545.00	545.00	327.00	218.00	-
कुल योग (1-16)					7632.50	2445.90	1630.60	3556.00

2235

21/05/25

सरकार के अपर सचिव